संचिका सं0—07/MCH-35-41/2023 – 288 (7A)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वारा:— **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

पटना, दिनांक—07 / 08 / 2026

विषयः— **दरभंगा जिलान्तर्गत दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, दरभंगा में 2100 शैय्या के नये अस्पताल, नये महाविद्यालय भवन एवं आवासीय परिसर के निर्माण की सैद्धांतिक सहमति के आधार पर कुल 2546.41 करोड़ रुपये मात्र के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन निगम द्वारा तैयार 1700 शैय्या के नये अस्पताल एवं अन्य परिसर के निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुरूप तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर रू0 17,68,47,30,000/—(रूपये सत्रह अरब अडसठ करोड़ सैतालिस लाख तीस हजार) मात्र के योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026—27 में भारत सरकार द्वारा "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2026—27 Under Part-III" अंतर्गत स्वीकृत एवं विमुक्त राशि रू0 2,85,00,00,000/—(रुपये दो अरब पचासी करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध मे कहना है कि राज्य के आम जनों को गुणवत्तायुक्त चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महत्वाकांक्षी योजना के रूप में राज्य सरकार द्वारा दरभंगा जिलान्तर्गत दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, दरभंगा को 2500 शैय्या (पूर्व स्वीकृत एव निर्माणाधीन 400 शैय्या के सर्जिकल ब्लॉक सहित) के नये चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के रूप में विकसित किया जाना है, जिसमें से पूर्व से 400 बेड के सर्जिकल ब्लॉक का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है। अतएव शेष 2100 शैय्या के निर्माण इसी योजनांतर्गत किये जाने हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएं एव आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना के पत्रांक—2041 दिनांक—13.06.2023 से प्राप्त इस योजना का प्रारंभिक परियोजना प्रस्ताव रु० 2546.41 करोड़ मात्र का उपलब्ध कराया गया, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय राज्यादेश सं०—100(7), दिनांक—16.06.2023 द्वारा दी गयी। पुनः आवश्यकता आधारित 1700 बेड के अनुरूप नये भवन हेतु राशि रू0 17,68,47,30,000/—(रूपये सत्रह अरब अडसठ करोड़ सैतालिस लाख तीस हजार) मात्र का तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन पर विभागीय सहमति संसूचित की गयी है।

2— Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2026—27 Under Part-III अंतर्गत भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पत्रांक—No.44(1)/PF-S/2026-27(CAPEX)-Bihar, दिनांक—29.07.2026 द्वारा इस योजना हेतु रू० 285.00 करोड़ मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान करते हुए स्वीकृत्यादेश संख्या—No.44(1)/PF-S/2026-27(CAPEX)-Part-III-SACE-6, दिनाक—29.07.2026 के माध्यम से राशि विमुक्त की गयी है। तद्क्रम में वित्त विभाग के पत्रांक—910/वि0, दिनांक—30.07.2026 के द्वारा SASCI 26-27 Part-III हेतु जारी दिशा—निर्देश के अनुरूप भारत सरकार द्वारा स्वीकृत एवं विमुक्त राशि रु0 285.00 करोड मात्र के व्यय की स्वीकृति दिये जाने का निर्देश दिया गया है।

3– इस योजना हेतु अब तक आवंटित राशि का विवरण निम्नरुपेण है–

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	राशि (रु0 मे)	स्वीकृत्यादेश/आवंटनादेश सं0 एवं दिनांक
1	2025–26	20,00,00,000/–	सं0–347(7), दिनांक–06.10.2025
2	2025–26	71,00,00,000/–	सं0–131(7ए), दिनांक–20 03.2026
कुल राशि		**91,00,00,000/–**	

4– उक्त परिप्रेक्ष्य में दरभंगा जिलान्तर्गत दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, दरभंगा में 2100 शैय्या के नये अस्पताल, नये महाविद्यालय भवन एवं आवासीय परिसर के निर्माण की सैद्धांतिक सहमति के आधार पर कुल 2546.41 करोड रुपये मात्र के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन निगम द्वारा तैयार 1700 शैय्या के नये अस्पताल एवं अन्य परिसर के निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुरूप तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर रू0 17,68,47,30,000/–(रूपये सत्रह अरब अडसठ करोड़ सैतालिस लाख तीस हजार) मात्र के योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में भारत सरकार द्वारा "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2026–27 Under Part-III" अंतर्गत स्वीकृत एवं विमुक्त राशि रु0 2,85,00,00,000/–(रुपये दो अरब पचासी करोड) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5– इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ, लघु शीर्ष–110–अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष–0111–मेडिकल कॉलेज अस्पताल विपत्र कोड–20–4210011100111 के अंतर्गत विषय शीर्ष 53–01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में प्राप्त उपबंधित/प्रथम अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

6– कार्यकारी एजेन्सी, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत सरचना निगम लि0, पटना द्वारा योजना का क्रियान्वयन/राशि का व्यय, स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश सं0–100(7), दिनांक–16.06.2023 में निहित शर्तों के आधार पर कराया जायेगा।

7– इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

8– वित्त विभागीय पत्र संख्या–632/वि०, दिनांक–04.07.2023 के क्रम में निर्गत वित्त विभागीय पत्र संख्या–10792/वि०, दिनांक–06.12 2023 के क्रम में "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2026-27" के लिए पूंजीगत परियोजनाओं से संबंधित चालू योजनाओं के वित्त पोषण हेतु लोन की राशि से बकाया भुगतान के लिए कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी० एल० खाता में हस्तान्तरित करते हुए दूसरे दिन राशि को बैंक खाते में हस्तान्तरित कर व्यय किया जाना है। अतएव अवर सचिव सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि निगम के पी0एल0 एकाउन्ट सं0–PBBPLA007 विपत्र कोड–00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID में जमा करेगे, जिसे कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) पी० एल० खाता में हस्तान्तरित राशि को दूसरे दिन वित्त विभाग के पत्रांक–910/वि0, दिनांक–30.07.2026 के कंडिका 05 के अनुसार राशि के व्यय हेतु AXIS Bank खाते में हस्तान्तरित कर SASCI 26-27 Part-III के दिशा–निर्देश के अनुरूप विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए व्यय करेंगे।

9– वित्त विभागीय पत्रांक–910/वि०, दिनांक–30.07.2026 के आलोक में ससमय उपयोगिता प्रमाण–पत्र GFR 12B में विभाग के माध्यम से विहित प्रपत्र में तैयार कर वित्त विभाग को निगम के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी० एल० खाते में प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र में ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेंगे एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

10– यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2), दिनांक–17.04.98, 2880/ वि0(2), दिनांक–06.05.06, 2938/वि0(2), एवं दिनांक–08.04.08 एवं 12888/वि०, दिनांक–03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

11– प्रस्ताव एवं प्रारूप में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

12– प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–07/MCH-35-41/2023 के पृष्ठ–26../टि0 में प्राप्त है।

13– राशि की सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। साथ ही राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

14– यह मात्र स्वीकृत्यादेश है। आवंटन CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
7.8.26
(शंभु शरण)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः–07/MCH-35-41/2023 – 938 (7A)/स्वा0, पटना, दिनांक–07/08/2026

प्रतिलिपि– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), वीरचंद पटेल पथ, पटना/ योजना एव विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत संरचना निगम लि०, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/जिला पदाधिकारी, दरभंगा/अधीक्षक एवं प्राचार्य, दरभगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, दरभंगा/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को दो प्रतियों में /आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं उक्त सभी को ई–मेल करने के निर्देश के साथ प्रेषित।

7.8.26
सरकार के अपर सचिव।